Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

साहबदीन बनाम असरू वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्स जज वाद – धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 231/ वर्ष 2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.08.2025	आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वास्ते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने पेश करें। पत्रावली 23.09.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा)	
26/9/2025	आज पत्रावली वादीगण के पैरोकार हा. अ. हाजिर पेश हुई वादीगण का तलबा हाजिर पेश हुई वादीगण द्वारा नोटिस तामील पाया नहीं, वादीगण को पुनः जारी, वादीगण की मौजूदगी आवश्यक की आगामी दिनांक तक वादी का पैरोकार हाजिर, वादी का वाद कीमत "किसी नामजद, वादी का वाद पैरोकार किसी नामजद, मगर तकमील बयान पैरोकार तकमील बयान के वक्त हाजिर हो दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल तिजारा (राज०)	साहबदीन 26/9/25